डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0,
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार,सीतापुर रोड, लखनऊ

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के कतिपय ऐसे छात्र जिन्हें कई बार सूचित किए जाने के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परीक्षा फार्म नही भरा जाता है ऐसे छात्रों से विलम्ब शुल्क के रूप में ली जाने वाली धनराशि निर्धारण के प्रस्ताव को परीक्षा समिति की दिनांक 09.01.2021 को ऑनलाइन जूम के माध्यम से सम्पन्न हुई 68वीं बैठक के मद संख्या 68.16 में तथा वित्त समिति की दिनांक 18 जनवरी, 2021 को सम्पन्न 56वीं बैठक के मद संख्या 21.56.25 में विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा छात्रों से विलम्ब शुल्क के रूप में निम्नानुसार धनराशि लिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया :–

क0सं0	विवरण	निर्धारित बिलम्ब शुल्क
1.	फार्म भरने की घोषित अंतिम तिथि के बाद तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से 16 दिन पूर्व तक	रू0 1000/–
2.	परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 दिन से 05 दिन पूर्व तक	रू0 3000/–
3.	परीक्षा प्रारम्भ होने के 04 दिन से 01 दिन पूर्व तक	रू0 5000/–
4.	परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि या उसके बाद	Not Allowed

उपरोक्त के साथ ही समिति द्वारा कोई छात्र जो किसी तकनीकी कारणवश परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गया है तो ऐसी स्थिति में छात्र के दावे की सत्यता की जॉच कर बिलम्ब शुल्क माफ किए जाने के लिए परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया ।

अतः कृपया समिति के उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

(डा0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांकः 4454 /एकेटीयू/परीक्षा/2021, दिनांक : 06 /02/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक/प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान ।
2. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
3. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
4. अपर/संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।
5. प्रभारी, ई0आर0पी0, ए0के0टीयू0, लखनऊ ।
6. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ ।

06/2/2021

(डा0 राजीव कुमार)
परीक्षा नियंत्रक